न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर
पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेश कुमार मालव, R.A.S.

रेफरेन्स संख्या : 28 / 2012
सरकार जरिये तहसीलदार–फागी, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. गोरधन पुत्र रामसहाय, जाति–बारागांव ब्राहम्ण, निवासी–भांकरोटा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. रामपाल पुत्र रामसहाय, जाति–बारागांव ब्राहम्ण, निवासी–भांकरोटा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. सूरजकरण पुत्र श्योनारायण, जाति–जाट, निवासी–गोपालपुरा, तहसील–फागी, जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राज़स्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232
राजस्थान क़ाश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 31.01.2019

तहसीलदार, फागी द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम भांकरोटा की आराजी खसरा नम्बर 309 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नाला दर्ज है, जिसमें से 02 बीघा आवंटन होने के फलस्वरूप आवंटी के नाम दर्ज होकर वर्तमान में क्रेतागण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकीन नाला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विभादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन नाला दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

Scanned by CamScanner

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम भांकरोटा की आराजी खसरा नम्बर 309 रकबा 02 बीधा 13 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नाला दर्ज है, इसमें से 02 बीधा रामसहाय पुत्र सीताराम, जाति–बारागांव ब्राहम्ण, निवासी–भांकरोटा को आवंटित की जाकर खातेदारी दी गई है। खातेदार द्वारा आराजी को विक्रय कर दिये जाने के कारण क्रेता अप्रार्थीगण की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 309 रकबा 02 बीधा 13 बिस्वा में से 02 बीधा का आवंटन किया गया हैं, नियमों के विपरीत अवैध रूप से आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में यह आराजी गैर–मुमकिन नाला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन नाला की आराजी को रामसहाय पुत्र सीताराम, जाति–बारागांव ब्राहम्ण को आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज और पश्चातवर्ती इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा प्रावधान नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

Scanned by CamScanner

हमनें विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 ग्राम भांकरोटा की आराजी खसरा नम्बर 309 रकबा 02 बिस्वा 13 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नाला दर्ज है इसमे से 02 बीधा आवंटन किये जाने के फलस्वरूप जरिये नामान्तरकरण संख्या–239 रामसहाय के नाम दर्ज होकर विरासत का नामान्तरकरण तत्पश्चात् खातेदारी का नामान्तरकरण सं0–547 स्वीकार हुआ हैं। खातेदार श्योजी द्वारा अपने हिस्से का विक्रय किये जाने के फलस्वरूप क्रेता के नाम नामान्तरकरण संख्या 597 स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकिन नाला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने विवादग्रस्त आराजी को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन नाला दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2011–2030 से होती है और इस आराजी का आवंटन रामसहाय पुत्र सीताराम, जाति–बारागांव ब्राहम्ण को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0–239 ग्राम–भांकरोटा से होती है। गैर–खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 239 व विरासत का नामान्तरकरण संख्या 260 तत्पश्चात् खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 547 स्वीकार किया गया हैं और वादग्रस्त आराजी को विक्रय किये जाने के फलस्वरूप नामान्तरकरण संख्या 597 स्वीकार किया गया हैं। विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला लगानी सिवायचक गैर–मुमकीन नाला की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नाला भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य प्राधिकार निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकिन नाला भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी

Scanned by CamScanner

जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, फागी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई सुसंगत दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 309 रकबा 02 बीधा 13 बिस्वा में से किया गया आवंटन रकबा 02 बीधा को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक गैर–मुमकीन नाला दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। प्रार्थी को दिनांक 26.03.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.01.2019 को सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

31.1.19

(नरेश कुमार मालव)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner